प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल म.प्र.–462003
दूरभाष–2552646, 2552878, फैक्स–2552406, 2551253
email:-encwrdbpl_mp@nic.in

क्रमांक –3324068/पार्ट–2/ 448 भोपाल, दिनांक 7/03/2017

// कार्यालयीन–आदेश//

म0प्र. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल परिपत्र क्रमांक एफ–11/1/2008 नियम–4 दिनांक 24 जनवरी–2008, एवं सामान्य प्रशासन विभाग के जी/3–15/09/03/एक दिनांक 17.11.2009 एवं परिपत्र क्र. एफ–11–17/2014/नियम/चार भोपाल दिनांक 30 सितम्बर 2014 में निहित प्रावधान के अनुसार तथा मुख्य अभियंता, रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना, बरगी हिल्स, जबलपुर व्दारा आयोजित विभागीय समयमान वेतनमान समिति की बैठक दिनांक **08/12/2016** की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित **सहायक वर्ग–1** को उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई तिथि से **30 वर्ष** की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप तृतीय उच्चतर वेतनमान में वेतन बैंड रू. 9300 - 34800+ ग्रेड पे रू0 3200/– उनके नाम के समक्ष कॉलम क्र. 5 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है :–

स. क्र.	कर्मचारी का नाम	सीधी भर्ती/ सहा ग्रेड–3 में नियुक्ति का दिनांक	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने का दिनांक	समयमान वेतनमान प्रभावशील होने का दिनांक
1	2	3	4	5
1	श्री आर.सी.केशरवानी	18.07.1980	17.07.2010	01.07.14

सामान्य शर्ते –

1. समयमान वेतन योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति अस्वीकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अंतर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जावेगा, परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानों का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा ।
2. कर्मचारी की पदस्थापना में परिवर्तन होने पर यह आदेश उसकी वर्तमान पदस्थापना को अग्रेषत किया जावें । तदानुसार इस कार्यालय को अवगत करावें ।
3. भविष्य में इस समयमान वेतन स्वीकृति को वरिष्ठता हेतु किसी विवाद के लिए आधार नहीं माना जावेगा ।
4. उक्त वेतनमान का लाभ संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा के सत्यापन कराने के पश्चात् देय होगा।

3/3/17
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,भोपाल

D:/332/N/samayman/U

पृ.क्र. 3324068/पार्ट–2/ 559 भोपाल, दिनांक 2/03/2017

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता, रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना बरगी हिल्स, जबलपुर के पत्र क्र. 04/26/स्था./ दिनांक 25/01/17 के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल ।
3 निज सहायक प्रमुख अभियंता/ अधीक्षण यंत्री (प्रशासन), कार्यालय प्रमुख अभियंता,जल संसाधन विभाग, भोपाल।
4. वेब मैनेजर,/सहायक यंत्री कार्यालय परि.संचालक, पाईकू भोपाल की ओर विभागीय बेव साईड पर प्रविष्टि हेतु ।
5. सम्बन्धित श्री/श्रीमती ....
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

2/3/17

(एन.के.परिहार)
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,

D:/332/N/samayman/U